रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122022-240743
CG-DL-E-02122022-240743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 770]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2022/अग्रहायण 11, 1944
No. 770]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2022/AGRAHAYANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 863(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 511 (अ), तारीख 04 जुलाई, 2022 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से जिसकों उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनसाधारण को 05 जुलाई, करवाई गई थींको उपलब्ध 2022 को उपलब्ध करवाई गई थी;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए है, केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :

1. (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर नियम (बाइसवाँ संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें ।

2. केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 में नियम 125 ट के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:--

'125-ठ. आयुधिक यानों के लिए विनिर्दिष्ट छूटें.—प्रत्येक आयुधिक यान समय समय पर यथा संशोधित एआईएस-194:2022 में विनिर्दिष्ट छूटों के अध्ययधीन रहते हुए इन विनियमों में अधिकथित मानकों का अनुपालन करेंगे ।

(2) इन नियमों में "आयुधिक यान" से गोली-रोधक कवच चढ़े हुए प्रवर्ग एम और एन के विशेष प्रयोजन यान अभिप्रेत है, जो प्रवहित व्यक्तियों या माल की सुरक्षा के लिए आशयित है।' ।

[फा. सं. आरटी-11036/70/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक, तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 858(अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2022

G.S.R. 863(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 511(E), dated the 4th July, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 5th July, 2022;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twenty-second Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 125K, the following rule shall be inserted, namely:

'125-L. Specific exemptions for Armoured Vehicles.- (1)Every armoured vehicle shall comply with the standards laid down in these rules, subject to the exemptions specified in AIS-194:2022, as amended from time to time.

(2) In this rule, "Armoured Vehicles" means a special purpose vehicle of category M and N which is intended for the protection of conveyed persons or goods with anti-bullet armour plating.'.

[F. No. RT-11036/70/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* Notification number G.S.R. 858(E), dated the 29th November, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.02 22:11:34 +05'30'